# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 12/परीक्षा 'ग'/शारी.प्रशि.अनु.ग्रेड-II&III/माध्यमिक शिक्षा/2008–2009/ दिनांक–

**शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II & III प्रतियोगी परीक्षा, 2008**
**(अजा/अजजा के बैकलॉग के पदों की भर्ती हेतु)**

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए अध्यापक शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II & III प्रतियोगी परीक्षा, 2008 के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित :–

## 1. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II एवं III के रिक्त पदों का विवरण

| पद की क्रम सं. | पदनाम | कुल पद | अजा | | योग | अजजा | | योग | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामान्य | महिला | | सामान्य | महिला | | |
| 35 | शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड –II | 62 | 19 | 06 | 25 | 29 | 08 | 37 | 5500–9000 |
| 36 | शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड –III | 405 | 160 | 52 | 212 | 148 | 45 | 193 | 4500–7000 |

नोट :– टीएसपी ऐरिया के पद निम्नानुसार आरक्षित है । टीएसपी के आरक्षित पद कुल रिक्तियों में सम्मिलित हैं ।
**(केवल ग्रेड III पद की क्रम संख्या 36 के लिये)**

| क्र.सं. | जिला | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जन जाति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सामान्य | महिला | योग | सामान्य | महिला | योग |
| 1 | बांसवाड़ा | 5 | 2 | 7 | 2 | – | 2 |
| 2 | डूँगरपुर | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | सिरोही | – | – | – | 3 | – | 3 |

## शैक्षणिक योग्यता :

### पद की क्रम संख्या 35 के लिये शैक्षणिक योग्यता :–

(i) Graduate or equivalent examination with diploma in Physical Education
Or
Secondary with 4 years diploma in Physical Education.

(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagri script and knowledge of Rajasthani Culture.

### पद की क्रम संख्या 36 के लिये शैक्षणिक योग्यता :–

(i) Senior Secondary Certificate of Board of Secondary Education recognized by the Govt. of Rajasthan and Secondary or equivalent examination recognized by the Govt. of Rajasthan with five subjects three of them should be Mathematics, English and Hindi with Certificate in Physical Education.

(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagri script and knowledge of Rajasthani Culture.

**आवश्यक नोट :– (*पद की क्रम संख्या 35 एवं 36 के लिये*) परन्तुक यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्त्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की दिनांक तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। अन्यथा आवेदक अपात्र माना जावेगा।**

**विशेष नोट :– OMR Application Form के कॉलम संख्या 11 में अनुदेशक ग्रेड– II के लिये पद की क्रम संख्या 35 एवं अनुदेशक ग्रेड– III के लिये पद की क्रम संख्या 36 का उल्लेख करें।**

क्रमशः.........

**<u>नोट</u> :– महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्त्ती में प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से 5 प्रतिशत विधवा अभ्यर्थियों के लिए होगा। विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण दण्डवत** (Horizontal) **रूप से प्रवर्गानुसार होगा। पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।**

**2. पद की क्रम संख्या 35 एवं 36 के लिये अलग–अलग आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।**

<u>विशेष सूचना</u> :–

1 महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा ।

**विशेष नोट : किसी वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।**

2 विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जाती है तो जिसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जावेगा ।

3 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहॉ बच्चो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा ।

4 पेंशनः– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमाानुसार दिनांक 1–1–2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

5 ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि दिनांक 20.01.2006 के पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्तियों दो वर्ष के परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियम पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। **<u>पद का वेतनमान (ग्रेड II) रू. 5500–9000 मासिक नियत पारिश्रमिक रू. 5450 तथा (ग्रेड III) रू 4500–7000 मासिक नियत पारिश्रमिक रू. 4450/–</u>**

6 आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजियन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

**3. <u>आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक</u> –** आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचने का **अन्तिम दिनांक 24–10–2008 (चौबीस अक्टुबर, 2008)** सायं छः बजे तक ( व्यक्तिशः, रजिस्टर्ड ए.डी. अथवा स्पीड पोस्ट डाक द्वारा) इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे । आवेदक आयोग को अन्य माध्यम से भी आवेदन पत्र भेज सकता है परन्तु यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि उसका आवेदन पत्र आयोग को समयान्तर्गत प्राप्त हो। आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुँचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र किसी भी माध्यम से भेजा गया हो।

**<u>आवेदक O.M.R. Sheet भरने के निर्देशों में दिये गये 32 जिलों के कोड नम्बर में से वांछित कोड नम्बर चुन कर O.M.R. Sheet के कॉलम संख्या 07 में Distt. Code , एवं कॉलम संख्या 08 में Centre Code की सावधानी पूर्वक प्रविष्टि करें ।</u>**

**आवेदक को परीक्षा केन्द्र का आवंटन <u>O.M.R. Sheet के कॉलम संख्या 08 में भरे गये परीक्षा केन्द्र के कोड नम्बर</u> एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं कों दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा । आयोग द्वारा स्वविवेक से परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गये परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी किया जा सकता है ।** आयोग कार्यालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के बाद परीक्षा केन्द्र एवं अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी ।

**4. <u>परीक्षा का माह एवं दिनांक</u> –** परीक्षा माह **फरवरी, 2009** में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर ली जाने की संभावना है। परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।

**5. <u>परीक्षा शुल्क</u> :– समस्त विज्ञापित पद राजस्थान के <u>अजा/अजजा</u> बैकलॉग के आरक्षित होने के कारण परीक्षा शुल्क** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है हेतु रूपये 50 का आवेदन पत्र (परीक्षा शुल्क मुक्त केवल आवेदन पत्र का मूल्य रू 50)

**6. <u>आयु</u>** :– आवेदक **<u>1 जनवरी, 2009 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो</u>**,

परन्तु यह कि :–

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं के मामलें में 10 की वर्ष की छूट होगी।
3. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

क्रमशः.........

4. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
5. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।
6. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
7. रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड आफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमिशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।
8. कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
9. राजस्थान राज्य के कारोबार में सस्थाई (Substantive) रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में 40 वर्ष तक होगी तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रुप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
10. 12. सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
11. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। **स्पष्टीकरण** विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

**नोट – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।**

## 7. <u>अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में</u> :–

सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपकमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने का सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

## 8. नियुक्ति के लिये आयोग्यता :–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसक पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–
   परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :
   परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

## 9. <u>आवेदन कैसे करें</u> :–

आवेदक राजस्थान राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से **दिनांक 15–9–08 से जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)** कार्यालयों में आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये OMR Application Form नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन कर सकते है।

- केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति (Only for S.C./S.T. Candidates of Rajasthan State) श्रेणी के आवेदकों हेतु Rs. .50. का आवेदन पत्र

**<u>कृपया ध्यान दें :</u>**

1. **OMR Sheet के कॉलम संख्या 11 में पद की क्रम संख्या का योग्यता के अनुसार उल्लेख करें।**
2. आवेदन पत्र आयोग को भेजते समय लिफाफे पर <u>**विज्ञापन संख्या, पद की क्रम संख्या एवं पद नाम**</u> का अवश्य उल्लेख करें।
3. आवेदक **OMR Application Sheet** के कॉलम व गोले भरने हेतु केवल नीले बॉल पेन का प्रयोग करें।
4. आवेदक आयोग को आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि बॉक्स में की गई प्रविष्टियां व गोले एक समान है। गोले और बॉक्स के कॉलम में की गई प्रविष्टियों मे यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो

क्रमशः.........

आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के अस्वीकृत कर दिया जायेगा। केवल गोले में भरी गई सूचना को सही मानते हुए परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। **OMR Application Sheet** में किसी भी संगत **(Relevent)** कॉलम को खाली नहीं छोड़े। अधूरा भरा **OMR Application Sheet** अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

**5.** विज्ञापित पदों की आयोग द्वारा परीक्षा कराई जावेगी। परीक्षा में अस्थाई रूप से चयनित आवेदकों को आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र भेजकर भरवाया जायेगा। आवेदकों से विस्तृत आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किये जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जायेंगे।

**6. OMR Application Sheet** के किसी प्रकार के मूल/प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं करें।

**7** आवेदक श्रेणी वार तय किये गये आवेदन पत्र के अनुसार अपनी श्रेणी का आवेदन पत्र खरीद कर ही आवेदन करें । गलत श्रेणी का आवेदन पत्र खरीद कर आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र आयोग द्वारा रदद् कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी । **आवेदक आवेदन पत्र स्वयं की हेन्डराइटिंग से भरे अन्यथा उसका आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जायेगा।**

**8. आवेदक भरे हुए आवेदन पत्र व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड ए.डी., स्पीड पोस्ट डाक द्वारा सीधे ही आयोग कार्यालय को भेजें ।**

**9.** Application Form Packet OMR Application Form, Envelope & Instruction उपलब्ध होंगे । यदि आवेदक द्वारा O.M.R. Application Form में भरी गई सूचनाएं अपूर्ण अथवा त्रुटि पूर्ण पाई जाती है तो आयोग द्वारा आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जायेगा ।

**10.** आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात आवेदन पत्र में भरी गयी किसी भी सूचना में परिवर्तन की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी ।

**11.** अभ्यर्थी को उसके द्वारा O.M.R. Application Form में भरी गई सूचना के आधार पर ही परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा अतः आवेदक O.M.R. Application Form को सावधानी पूर्वक भरें , इसके लिये आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें ।

**12.** O.M.R. Application Form समयान्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्ते पूरी करता है । आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करे ।

**13. आवेदकों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन मय पाठ्यक्रम के राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं आयोग की वेबसाईट http://www.rpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।**

**नोट** :–

1. आवेदक जिनके आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा । परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियॉ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं । आयोग द्वारा उम्मीद्वार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी ।
2. आवेदक इस परीक्षा के सेवा नियम राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 का अध्ययन कर लें । नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।
3. आयोग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है । परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की नवीन वैब साइट http://www.rpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।
4. श्रुत लेखक की सुविधा :– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है , उन्हे आयोग कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी ।
5. अनुचिंत साधनों की रोकथाम :– परीक्षार्थियों को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती हैं। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाईट पर दी गई है।

**10. <u>आयोग की वेबसाइट</u> :–** उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट http://www.rpsc.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है । इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग,

क्रमशः.........

अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0 0145–2627696, 2627080 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाये ।

**सचिव**

क्रमशः..........